

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
इंजीनियरिंग सेवा समूह
वास्तुविद्या एवं संरचनात्मक इंजीनियरी प्रभाग

ट्रांबे,
मुंबई-400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं. : बीएआरसी /एएसईडी /ईटी/05/2025-2026 दिनांक: 03.12.2025

I. निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे

- भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400085 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों (भाग 'क' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग 'ख'- वित्तीय बोली)में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(i)	कार्य का नाम	:	भा.प.अ.केंद्र, ट्रांबे, मुंबई, नार्थ साईट से टी.वी.एस. सिमेट्री मंडला हिल ई-फेस के आसपास उगे जंगली बनस्पति की कटाई एवं फेकने का द्विार्थिक ठेका।
(ii)	कार्यस्थल /पिन कोड	:	नार्थ साईट से टी.वी.एस. सिमेट्री मंडला हिल ई-फेस, ट्रांबे, मुंबई- 400085
(iii)	कार्य /उत्पाद श्रेणी	:	कार्य।
(iv)	आमंत्रित अधिकारी	:	मुख्य अभियंता और सह निदेशक, इंजीनियरिंग सेवा समूह।
(v)	आमंत्रित अधिकारी का पता	:	ए एंड एसईडी , इंजीनियरिंग सेवा समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई- 400085
(vi)	अनुमानित लागत	:	₹ 29,39,400/- + जी.एस.टी.जैसा कि लागू है
(vii)	ब्याना राशि	:	₹ 69,360/-
(viii)	निविदादस्तावेजकीलागत	:	शून्य।
(ix)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	:	शून्य।
(x)	कार्य की अवधि	:	730 (सात सौ तीस) मानसून अवधि सहित कैलेंडर दिन।

(xi)	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए प्रारंभ/अंतिम तारीख तथा समय	: https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक 05-12-2025 10:00 (बजे) से दिनांक 22-12-2025 15:00 (बजे) तक। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट www.bhappat.kendra.gov.in या https://eprocure.gov.in/cppp/relatedlinks / भापअ केंद्र पर जाएं।
(xii)	स्पष्टीकरण की प्रारंभ तारीख तथा समय	: -
(xiii)	स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख तथा समय	: -
(xiv)	साइट यात्रा की तारीख तथा समय	: -
(xv)	बोली-पूर्व बैठक की तारीख तथा समय	: -
(xvi)	बोली-पूर्व बैठक का पता	: -
(xvii)	बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभ तारीख तथा समय	: 09-12-2025 (10:00 Hrs.)
(xviii)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा समय	: 22-12-2025 (15:00 Hrs.)
(xix)	बयाना राशि, टेंडर एक्सप्टेंस दस्तावेज जमा तारीख, समय तथा भेजने का पता।	: 23-12-2025 (15:00 Hrs.) या उससे पहले ई. एम. डी. नियत तिथि और समय (ऊपर xix) से पहले निम्नलिखित पते पर जमा/ प्राप्त किया जाएगा : प्रति, प्रभारी अधिकारी, भुदृष्य एवं स्वच्छता अनुरक्षण अनुभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे मुंबई - 400085 फोन नं : (022) 2559 4980 ईमेल : lcmoff@barc.gov.in नोट: मूल दस्तावेज अधिमानतः व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हालांकि, डाक या कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे नियत तिथि और समय के भीतर प्राप्त हो जाएं।
(xx)	बोली खोलने का समय/ ऑनलाइन भाग क खोलने की तारीख एवं समय	: 24-12-2025 14:30 (बजे)।
(xxi)	बोली खोलने का स्थान	: अनुभाग कार्यालय, भुदृष्य एवं स्वच्छता अनुरक्षण अनुभाग, बी.ए.आर.सी., ट्रांबे, मुंबई- 400085

(xxii)	निविदाकर्ता वर्ग	:	निविदा दस्तावेज के अनुसार
(xxiii)	योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली (भाग ख) खोलने की तिथि	:	शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचे वेबसाइटपर बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा https://eprocure.gov.in/eprocure/app
(xxiv)	निविदा की वैधता (दिनों तक)	:	180 (एक सौ अस्ती)

II. आरंभिक पात्रता मानदंड:

2. i) बोलीकर्ता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयद्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडियाको वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगा। इसके अलावा बोली लगानेवाले को विषय निविदामें प्रस्तावित % स्थानीय सामग्री के लिए (निविदादस्तावेज का परिशिष्ट – 4 देखें) बोलीके साथ अंडरटेकिंग भी जमा करनी होगी।
- ii) 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोली पूर्व स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह दर्शाने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता खुद को 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, वशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/ घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोलीपूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्टासनुसारऐसे मामलों में वर्क्स्टेक्सप्रापण के लिए मैनुअल-2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- iii) बोलीकर्ता के पास निम्न लिखित होना चाहिए :
- (क) निविदा खुलनेकी तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंकसे कम से कम ₹ 13.87 लाख के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- (ख) दिनांक 31st March 2025 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम ₹ 34.68 लाख होना चाहिए। इसका विधिवत रूपसे पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए और इसमें अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) भी होनी चाहिए।
- (ग) 31st March 2025 को समाप्त पिछले 5 वर्षोंके दौरान दो वर्षसे अधिक में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए।

- (घ) सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है।
- (च) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (छ) स्थायी खाता सं (पेन)।

3. बोलीकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में कम से कम प्रत्येक ₹ 13.87 लाख के लागत के इसी प्रकार के 03 (तीन) कार्य या कम से कम ₹ 20.81 लाख के लागत के इसी प्रकार के 02 (दो) कार्य या कम से कम ₹ 27.74 लाख के लागत के इसी प्रकार का 01(एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) पूरा किया हो। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व पूर्ण किए गए कार्य को भी मान्यता दी जाएगी और यदि केंद्र सरकार / राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों/ केंद्रीय स्वाक्षरता निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समरूप प्रकार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए हों, तो उसके लिए बोलीकर्ता को आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गए विवरण / अभिलेखों से समान कार्य के लिए ग्राहक सेबोली कर्ता को भुगतान की पुष्टि करें।

इस प्रयोजन हेतु “कार्य की लागत” का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार / क्लायंटद्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य “भूदृश्य विकास/रख रखाव/ जंगली वनस्पति काटने और जंगली वनस्पति के समायोधन/ वृक्षरोपण या इन सबका समन्वय ॥। समान कार्य भारत में निष्पादित किया हुआ होना चाहिए।

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।
5. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए।

III. सूचना :

6. निविदा दस्तावेज दो भागोंमें अर्थात् भाग 'क' निविदा दस्तावेज दो भागोंमें अर्थात् भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में तकनीकी बोली है। यथा : खंड I- सूचना ई-टेंडर आमंत्रित (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) खंड II- अनुबंध, ज्ञापन, के मार्गदर्शन के लिए समझौतेके द्वितीय प्रपत्र और सामान्य नियम और निर्देश, खंड III-अनुबंधकी सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV-निविदाकारों के लिए विशेष निर्देश, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI-निविदा चित्रकी सूची, खंड VII-अनुसूची ए (विभाग द्वारा पूर्ति की जानेवाली सामग्रीकी अनुसूची), परिशिष्ट 'बी'-प्रदर्शन सुरक्षा के लिए बीजी बॉन्डका रूप, परिशिष्ट 'C'- सुरक्षित अग्रिमके लिए इंडेंट्योर (सिविल निर्माण कार्यके लिए लागू), परिशिष्ट

'डी- वॉटरप्रुफिंग कार्योंके लिए गारंटी बोंड (सिविल कार्योंके लिए लागू), परिशिष्ट 'ई' –दीमक विरोधी उपचार के लिए गारंटीबोंड (सिविल कार्योंके लिए लागू), अनुलग्नक 'ए'- मानवशिक्ति और मशीनरीका विवरण, निविदा दस्तावेजोंके सभी शुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माण सामग्रीके अनुमोदित निर्माताकी सूची (सिविल कार्योंके लिए लागू) और अनुसूचियों 'ए' से 'एफ' का प्रोफार्मा। भाग 'ख' (वित्तीयबोली) में अनुसूची 'बी'- मात्राओं की अनुसूची शामिल है। सफल बोलीकर्ताको कार्य सौंपे जानेके बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज अनुबंधका हिस्सा होंगे। सफल बोलीकर्ताको कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज अनुबंधका हिस्सा होंगे।

निविदा दस्तावेजें www.barc.gov.in की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्या जन उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट •Tenders and NITs•Other Information से निःशुल्को देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फार्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बोलीकर्ता को दोनों वेबसाइटों का संदर्भ लेना चाहिए और निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। केवल एक साइट का देखने पर आंशिक निविदा दस्तावेज़ ही मिल सकता है।

IV. सीपीपी वेबसाइट मे ई निवेदा के लिए दिशा निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध Class III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं। सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

7. पंजीकरण:

- i. बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टलपर "ऑनलाइन बोलीकर्ता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक प्राप्ति पोर्टल (यू आर एल: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूलपर नामांकन करना आवश्यक है। पोर्टल जो निःशुल्क है।
- ii. नामांकन प्रक्रियाके भागके रूपमें, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और उनके खातोंके लिए एक पासवर्ड असाइन करें।
- iii. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रियाके हिस्सेके रूपमें अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचारके लिए किया जाएगा।
- iv. नामांकन के बाद, बोलीकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसे सिफी / एनकोड / ई मुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरणद्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ तृतीयश्रेणी के प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करनेकी आवश्यकता होगी।

v. एक बोलीदाताद्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यानदें कि बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करनेके लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससीको दूसरों को उधार नहीं देतेहैं जिससे दुरुपयोग हो सकता है।

vi. बोलीकर्ता तब साइटपर सुरक्षित लाँग- इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड और डीएससी /ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके लाँग इन करता है।

8. निविदा दस्तावेजों की खोज़:

i. विविध मानकके अनुसार से सय निविदा की खोजमें बोलीकर्ता की सहायताके लिए सीपीपी पोर्टलमें खोजके कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन मानक में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य इत्यादी शामिल हैं। निविदाओंकी प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एकसे अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तारीख अन्य की-वर्ड इत्यादी को लेते हुए सीपीपी पोर्टलपर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।

ii. जिस निविदामें बोलीकर्ताकी रुची है, उसके चयनके पश्चात , वे आवश्यक दस्तावेज निविदा समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाको संबंधित 'My Tenders' नामक फोल्डरमें संचियत किया जा सकता है। इसके फल स्वरूप , निविदा दस्तावेज में शुद्धीपत्र जारी किए जानेकी स्थितीमें सीपीपी पोर्टल की ओर से एसएमएस/ ई-मेलके माध्यमसे बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।

iii. बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदाको प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडीको नोट कर लेता कि हेल्पडेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके।

9. बोलियों की तैयारी :

i. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के सबंधमें प्रकाशित शुद्धीपत्रमें उल्लिखित बिंदुओंको ध्यानमें रखते हुए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

ii. कृपया बोलीके एक भाग के रूपमें प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेजोंको समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज को ध्यानसे पढ़ले। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज का नाम एवं विषय वस्तु सहित दस्तावेजोंकी संख्या नोटकर ले। उक्त बिंदुसे किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोलीको अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा/दस्तावेज़/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का खुलासा नहीं किया जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंतअस्वीकृतकर दिया जाएगा।

iii. बोलीकर्ताको निविदा दस्तावेज/ समय सारणीमें यथा वर्णित, प्रस्तुत किए जानेवाले निविदा दस्तावेजपहलेसे ही तैयार कर के रख लेने चाहिए तथा सामान्यसम्मेलन दस्तावेज PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फोर्मेटमें हो सकते हैं। बोली निविदा दस्तावेज ब्लैक एडं व्हाइट विकल्पसिहत 100 dpi के साथ स्कॅन कर लिए जाए ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज का साइज कम हो सके।

- iv. प्रत्येक बोलीके एक भागके रूपमें प्रस्तुत किए जानेवाले मानक दस्तावेजों के समान सेट को हरबार अपलोड करनेमें लगनेवाले समय एवं मेहनतसे बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैनकार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादी) को एकबारगी अपलोडिंग का प्रावधान बोलीकर्ताके लिए उपलब्धकरवाया गयाहै। ऐसे दस्तावेजोंको अपलोड करनेके लिए बोलीकर्ता उन्हें उपलब्ध कराए गए "My Space" या "Other Important Documents" जैसे एरियाका उपयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजोंको सीधे "MySpace" एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हेंबार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रक्रियामें कम समय लगेगा।

टिप्परणी: My Documents"यह स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ता को अपलोडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ताने "My Documents" स्पेस में अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, तो इससे यह बात स्वतः सुनिश्चित नहीं हो जाती की ये दस्तावेज तकनीकी बोलीका एक भाग हो चुके हैं।

10. बोलियों की प्रस्तुति :

- बोलियां सीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन प्रस्तुति की जाएंगी।
- बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइटपर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात् निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोलीको अपलोड कर सके। अन्य कारण से, किसी भी प्रकारके विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे।
- निविदा दस्तावेज में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करनी होगी।
- यथा लागू निविदा शुल्कव/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्पा में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा।
- बोलीकर्ता को निविदा दस्तानवेज में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा/कुरियर से/ व्याक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्तारवेज में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्धस विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- एजेन्सी को कार्यसे संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना होगा औरउसे (स्कैनकीगईप्रति) मोहरसहित हस्ताक्षरके साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) को उन्हेंही निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतेकरने का यह अर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।
- बोलीकर्ता कृपया ध्यान दे कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूपमें ही प्रस्तुत कर तथा आवश्यक कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्यकी बोलीको निविदा दस्तावेज सहित

मानक BOQ प्ररूप के रूपमें उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसेही डाउनलोड किया जाना होगा औरउसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ताको BOQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानों (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खानेमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ताको फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइलका नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जानेपर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइलमें परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्तसमय पूर्व ही अपने दस्तावेज अपलोड कर लेता कि सर्वर पर अंतिम समय पर होनेवाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार के जटिलता की स्थितिसे बचा जास के। दस्तावेज अपलोड करनेके दौरान किसीभी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल है, के लिए भापअकेंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा।
- ix. बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियां जमा करने, बोलियां खोलने आदि की समय सीमाको संदर्भित करनेके लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ताओं के डैश बोर्डपर प्रदर्शित होता है) मानक समय माना जाएगा। बोलीकर्ताओंको बोली जमा करने के दौरान समय का पालन करना चाहिए।
- x. नियत तारीख एवं समय (समय-विस्तार सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेजको प्रस्तुत करनेकी अनुमती नहीं है।
- xi. डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करनेके लिए बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकका उपयोगकर के एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियोंद्वारा बोली खुलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉफेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीकका उपयोगकर के बोलियोंकी गोपनीयता बनाए रखी जातीहै। संवेदनशील क्षेत्रोंका डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोली दस्तावेज़ जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टम द्वारा उत्पन्न सममित कुंजीका उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शनके अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/ बोली खोलनेवाले की सार्वजनिक कुंजीका उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलनेवालों द्वारा निविदा खोलनेके बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xii. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलनेवालों द्वारा निविदा खोलनेके बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xiii. बोलियोंको समयपर सफलतापूर्वक अपलोड करनेपर (अर्थात् पोर्टलमें “Freeze Bid Submission” किलक करनेके पश्चात) पोर्टल पर सफल बोली प्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुतिकी नियत तारीख एवं समय एवं अन्य संग विवरणसहित बोली सारांश प्रदर्शित होगा।
- xiv. बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली प्रस्तुत करनेकी पावतीके रूपमें रखा जाना चाहिए। इस पावतीका उपयोग किसीभी बोली खोलनेकी बैठकके लिए प्रवेशपास के रूपमें किया जा सकता है।
- xv. इच्छुक बोलीकर्ताको यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुतिके अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूपसे देखे ताकि वे, शुद्धिपत्र /अनुशेष /संशोधनदृवारा वेबसाइटके माध्यमसे निवादामे किए गए परिवर्तन/ आशोधन संबंधी जानकारीके बारेमें अदृश्यतित रहे।

- xvi. निविदा की कुछ वस्तुओं/सामग्री की तकनीकी विनिर्देश , बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप में मेक और ब्रांड का सुझाव देती हैं। तथापि, बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दे सकते हैं, इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए, बोली जमा करने से पहले बोली-पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक/ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए गए तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज में विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। मदों/सामग्रियों के उच्चा विनिर्देशन/प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

11. बोलीकर्ताओं को सहायता:

1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तोंसे संबंधित किसीभी प्रश्नको निविदाके लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदामें इंगित संबंधित संपर्क व्यक्तिको संबोधित किया जाना चाहिए।
2. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तोंसे संबंधित किसी भी प्रश्नको निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न या सामान्य रूपसे सीपीपी पोर्टलसे संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

शर्तें :

12. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी एक निरीक्षण दल गठित कर सकते हैं जिसके द्वारा निम्नगलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके:-
 - a) वित्तीय क्षमता यानीबैंकसॉल्वेंसी ।
 - b) पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्न ओवर ।
 - c) पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि।
 - d) समान कार्यों का सफल समापन और गुणवत्ता ।
 - e) बोलीकर्ता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण ।
 - f) निविदा दस्तावेज के अनुलग्न -4 के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में, साथ ही संबंधित दस्तावेज "यदि कोई हो "।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाएं। यदि आवश्यक दस्तावेज अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

13. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा।

- ए) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।
- बी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।
- सी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना।
- डी) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन।
- ई) समय एवं गुणवत्ताय सजगता।
- एफ) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति।
- जी) स्थगल नियोजन क्षमता।
- एच) कार्य को बैक टू बैक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति।

14. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्यशुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी।

15. निविदा के भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

16. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

17. भापअ केंद्र/पऊवि की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकना:

(i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है, तो भापअ केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी, ईएमडी (यदि जारी नहीं किया जाता है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त जब्त कर ली जाएगी।

(ii) यदि भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार बोलीकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0>] और/या कार्यों की प्राप्ति मैनुअल 2022 के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022>] के अंतर्गत; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/divisions/manual_purchase-

consultancy-other-services] का उल्लंकघन किया है तो बोलीकर्ता/ठेकेदार को भापअ केंद्र/पञ्चवि में किसी भी प्रापण/निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इस संबंध में भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(iii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्नर प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भापअ केंद्रके सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेगें कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।

18. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए या लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी।

19. निविदा को निविदा के ऑन लाइन प्रस्तुकतीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों तक वैध रखा जाएगा।

20. यदि बयाना राशि के मूल दस्तावेज की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।

21. बयाना राशि के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई बैंक विवरण सहित (यदि आवश्यक हो तो), भारतीय स्टेट बैंक, भापअ केंद्र, ट्रांबे, शाखा

आईफार्एससी:SBIN0001268 के नाम से जारी किए गए आवधिक जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे आर्डर की मूल प्रति प्रस्तुति की जानी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीएकार्य है। ऐसे मामले में बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा ₹.20.00 लाख, जो भी कम हो, उक्त ह निर्धारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट 'ए' के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीशकार किया जा सकता है। इसके अलावा, ईएमडी की कागजी प्रति उक्त ब्रॉडकास्ट 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्यां लिखी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मूल ईएमडी तथा निविदा स्वीयकृति दस्ता वेज वरीयत: व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें गेट पर रखे ड्रॉप बॉक्स त में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापिक अथवा कुरियर से प्रेषित दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्ता पते पर निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त जाएं। ईएमडी को प्रस्तुवत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुकत न करने पर बोलीकर्ता की वित्तीकय बोली को नहीं खोला जाएगा।

22. जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे BARC द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा। LOA प्राप्त होने के बाद, बोलीकर्ता को संविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन

सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और BARC द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद, बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर EIC द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है। 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया/वापिस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल1 बोलीकर्ता की ईएमडी BARC द्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। एल2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडी BARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी CPPP में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

- 23.** बोलीकर्ताओं अपने संविदाकी उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगा, ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (ढाईप्रतिशत) होगी। प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5% की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% हो जाए। प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की अधिकारी जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाएगा।
- 24.** यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करनेकी अनुबंधित तारीखको या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभावके, उक्त बयाना राशिको पूर्ण रूपसे जब्त कर सकते हैं और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की रोक प्रक्रियाभी कर सकते हैं।
- 25.** निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 26.** निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदार सिफारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- 27.** निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे।

28. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

29.i.(जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा करकेंद्र-, राज्य और अंतरराज्य-।

ii) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जी. एस. टी. रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित (तिथि विस्तार सहित) पर लागू अन्य सभी कर, रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे।

iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी, इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर, भापअ केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर, बीमा व्यय, प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी नियम के अनुसार हैं।

v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएसटी पर 2 % टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्य के @1% की दर पर श्रमकल्याकण उपकर काटा जाएगा

vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे।

vii) ठेकेदारको ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथानियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्टा हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव्य में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों/कामगारों/मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।

ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में ईपीएफ अधिनियम , 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती ठेकेदार को समय- समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी।

30. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसके अतिरिक्त लू निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 31.** सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात , ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा ।
- 32.** जिन सफलनिविदाकारों की निविदा स्वीजकार की जाएगी उन्हेंक बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मज़दूरों का अपने खर्चे पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यारपन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्तन करना आवश्य क होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए । पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा ।
- यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युक्तियां/ अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं । भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्तअ कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुकसाभन/दायित्वद हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा । डीएई/बीएआरसी द्वारासमय-समय पर पञ्चवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्पांदन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग जब्तू करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है ।
- अनुदेश:
- 33.** ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
- 34.** इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज (एक्सेशल/वर्ड फार्मेट) को प्राप्तने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास- III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात त ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है ।
- 35.** उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्तो उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा । भाग 'क' खोलने के पश्चात मूल्यांकन के लिए ठेकेदारके जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली कामल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा । तब योग्यताप्राप्त सफल निविदाकारों का निविदा का भाग 'ख' (वित्ती य बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोली कर्ताओं को भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख सूचित कीजाएगी।

36. वित्तीय प्रस्ताव/ वाणिज्यिक बोली/ बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर BOQ_XXXX.xls के रूपमें उपलब्ध कराया गया है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वेइस BOQ_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफर/ दरोंको अनुमत कॉलममें उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोलीमें अपलोड करें। बोलीकर्ता किसीभी तरीके से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेटमें छेड़छाड़/ संशोधित नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकारसे छेड़छाड़/ संशोधन पाया जाता है, तो निविदाको पूरी तरहसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
37. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लाँग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
38. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम स्काई ब्लू रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है।
टिप्पणी निविदा जमा करनेसे पहले सभी एनआईटी मानदंडोंको पूरा करनेके लिए संभावित एजेंसियों को खुदको संतुष्ट करना होगा। निर्धारित मानदण्डोंको पूरा न करनेवाली एजेंसियोंकी निविदा पर विचार न करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

39. योग्य स्रोत देश :

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करनेवाले देश के किसी भी बोलीकर्ताको सार्वजनिक प्रापण विभाग, व्यविभाग, वित्तमंत्रालय, सरकारद्वारा जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) का पालन करना होगा। भारत एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और समय-समय पर इसके परिशिष्ट के तहत। साथ ही, बोलीकर्ताको निविदा दस्तावेज के 'परिशिष्ट-डी' में दिए गए प्रोफामकि अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। यदि इस तरह की घोषणा या प्रमाणपत्र बोली जमा करनेके समय या अनुबंध प्रदान करनेके बाद किसी भी समय गलत या गलत पाया जाताहै, तो उक्त अनुबंधको समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही ऐसी अन्य कार्रवाइयों के साथ जो भारतके प्रासंगिक कानून के तहत अनुमेय हो सकती हैं।

परिशिष्ट -एफ

पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुपत किया जाना है)

मैंने/हमने..... (बोलीकर्ता का नाम), भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ़ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें.....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन

पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्व(रूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्तज अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं।

40. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट जून 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्राप्त नियमावली के अनुसार इस निविदा पर लागू नहीं होती है।

41. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-

- I) पेशेवरचार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवरजिस पर सीए काविशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।
- II) पेशेवरचार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए कावैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।
- III) नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- IV) निर्माणसंयंत्र एवं मशीनरी की सूची।
- V) तकनीकी कर्मचारियों की सूची।
- VI) प्रमाणपत्र:
 1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।
 2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र।
 3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र।
 4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
 5. ईपीएफ एवं ईएसआईसीके लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।
- VII) बोलीकर्ता के लेटरहेड पर वचन देना कि "पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदारके माध्यमसे बैंक टू बैंक आधारपर निष्पादित नहीं किए गए हैं।
- VIII) बोलीकर्ता को भाग ए के खंड II और खंड - 11 अनुबंध की सामान्य शर्तें के अनुसार वचनबद्धता।
- IX) पिछले सात वर्षोंमें पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक

- समय, iv) ग्राहकोंसे योग्य समानकार्यों का प्रदर्शन प्रमाणपत्र।
- X) चालू कार्यों की सूची दर्शातीहै: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होनेका निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।
- XI) वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4 (अंग्रेजी एनआईटी में दर्शाएनुसार)
- XII) किसी भी क्लाइंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्न कोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित/काली सूची में डाले गए/समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ताइस बात की पुष्टि कि है कि उन्होंनेऐसा कोई प्रतिकूल कार्यनहीं किया है।
- XIII) इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकनके दौरान लापता दस्तावेज, यदि कोई हो, निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत करनेके लिए कहा जा सकता है।

42. बोलीकर्ताको निम्नलिखित भरना आवश्यक है:

- क) ई.एम.डी. के साथ तकनीकी बोली
- ख) मानवशक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार)
- ग) अनुसूची - 'बी' (वित्तीयबोली)

43. ई-बैंक गारंटी (ई-बी.जी.) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे वरियता दी जाती है।

टिप्पणियाँ:

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण और बोली जमा करनेके लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जासकतीहैं।
2. निविदा दस्तावेजोंसे संबंधित सहायता/स्पष्टीकरणके लिए संपर्क करें।
(022) 25596136/25594990/25594600. Fax: (022) 25505310
3. ई-टेंडरिंग में पंजीकरण और भागीदारी सहायता हेतु संपर्क करें:

3.1) 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पेस्टर्क - (0120)-4001 002, (0120)-4001 005, (0120)-6277 787

3.2) ईमेल आईडी support-eproc@nic.in

4. बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी ले जाना है), फर्म का पता।

5. साइट विज़िट के लिए अनुरोध भेजनेके लिए ईमेल आईडी

To: sureshm@barc.gov.in, dharmit@barc.gov.in,

Cc: himanshum@barc.gov.in

6. एनआईटी के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणके शब्दोंमें अंतर के मामलेमें, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

मुख्य अभियंता एवं सह निदेशक

अभियांत्रिकी सेवा समूह

भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

निविदा स्वीकृति पत्र
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुति किया जाएँ।

दिनांक :

प्रति,
मुख्य अभियंता एवं सह निदेशक,
इंजीनियरिंग सेवा समूह, भापअकेंद्र,
द्रांबे, मुंबई-400 085

विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।
निविदा संदर्भ सं.

निविदा/ कार्य का नाम:-

महोदय,

- मैंने/हमने वेबसाइट (ओं) से उपरोक्त निविदा/कार्य के लिए निविदा दस्तावेज (ओं) डाउनलोड/प्राप्त किया है: [HTTPS://eprocure.gov.in/eprocure/एप](https://eprocure.gov.in/eprocure/एप) और www.barc.gov.in आपके विज्ञापन के अनुसार, उपरोक्त वेबसाइटों में दिया गया है।
- मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है जो अनुबंध समझौते का हिस्सा होंगे और मैं/हम एतद्वारा उसमें निहित नियमों/शर्तों/बंदों का पालन करेंगे।
- इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुद्धिपत्र को भी ध्यान में रखा गया है।
- मैं/हम इसके द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेजों/शुद्धिकरणों की निविदा शर्तों को उसकी समग्रता/संपूर्णता में बिना शर्त स्वीकार करते हैं।
- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है/प्रतिबंधित नहीं किया गया है। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या प्रतिबंध/काली सूची के उदाहरण अलग से संलग्न किए गए हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सही है और यदि जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है या उल्लंघन पाई जाती है, तो आपका विभाग/संगठन कोई नोटिस या कारण दिए बिना बोली को अस्वीकार कर देगा या अनुबंध को समाप्त कर देगा, विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सहित किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एवी के अनुसार वचन देना
तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, _____ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से _____ [इकाई का नाम] पैन _____ के साथ, आय अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में निम्नलिखित घोषणा करता हूँ (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित):

1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं।
2. मैं/हम इसके द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206एवी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)
4. यदि रिटर्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:

मैं/हम, _____ जिनके पास पैन _____ है, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि धारा 206 एवी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं/हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीयवर्ष / (आकलनवर्ष)	फाइल करने की तिथि	आयकर रिटर्न आईटीआर पावती संख्या
1.	2023-24/ (2024-25)		
2.	2024-25 / (2025-26)		

5. मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

की ओर से _____
<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम >>
<< पदनाम >>

संस्था का नाम:

अनुलग्न क-3

फर्मों/एजेंसियों द्वारा जीएसटी उपक्रम
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

प्रिय महोदय,

1. कि बोली लगाने वाले जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप हैं।
2. जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट में रुकावट के मामले में, बोली लगाने वाला BARC को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा।
3. बोली लगाने वाले द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट BARC को दे दिए गए हैं।

जगह:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलकृता के हस्ताक्षर)

बोली लगाने वाले द्वारा स्थानीय सामग्री प्रमाणन

बोली लगाने वाले के पत्र के शीर्ष पर निम्नलिखित घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी:

निविदा/कार्य का नाम-

प्रिय सर,

“मैं/हम _____ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या _____ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार ‘श्रेणी । स्था नीय आपूर्तिकर्ता हेतु अर्हक होने की अनिवार्य ‘स्थानीय सामग्री (एलसी) की आवश्यनकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत _____ % है।

"अधिकृत दिनांकित हस्ताक्षर